आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
1	

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 30/2022–23

राज्य सरकार
–बनाम–
मो0 अब्दुल कासिम वगै0

–: आदेश :–

28.03.2023

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 3195/अप0शा0, दिनांक 20.08.2022 से कोटालपोखर थाना कांड संख्या 21/2022, दिनांक 29.05.2022, धारा–175/414 भा0द0वि0 एवं 21(1), 21(6) खान एवं खनिज विकास एवं निवनियम अधि0 1957 एवं 04/54 झा0ल0ख0समु0नि0 2004 के अन्तर्गत जप्त कासिम के क्रशर से 1. एक बोल्डर क्रशर मशीन, 2. दो चिप्स क्रशर मशीन, 3. छः कनवेयर, 4. 5000 घनफीट पत्थर खनिज तथा प्राथमिकी अभियुक्त नुरूल शेख एवं उस्मान शेख के क्रशर से–5. 01 बोल्डर क्रशर मशीन, 6. दो चिप्स क्रशर मशीन, 7. कन्वेयर एवं 8. 4000 घनफीट लगभग पत्थर खनिज को राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा का माँग किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– कांड के वादी श्री विभुति कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिनांक 29.05.2022 को दिन के करीब 12:10 बजे से कोटालपोखर थाना अन्तर्गत अवैध पत्थर का उत्खनन कर भंडारण एवं परिवहन करने के विरूद्ध औचक छापामारी जिला खनन टास्क फोर्स, अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बरहरवा, पुलिस निरीक्षक, बरहरवा, अंचल अधिकारी, बरहरवा एवं थाना प्रभारी, कोटालपोखर तथा सशस्त्र बल के साथ मिलकर किया गया। छापामारी के दौरान मौजा–ढाटापाड़ा, मयूरकोला, पथरिया आदि क्षेत्र में औचक छापामारी में अवैध रूप से संचालित क्रशर 1. मेसर्स अब्दुल कासिम, प्रो0–मो0 अब्दुल कसीम, सा0–ढाटापाड़ा, थाना–कोटालपोखर, जिला–साहेबगंज मौजा–ढाटापाड़ा, प्लॉट नं0–550 एवं 552 पर 4000 घनफीट पत्थर खनिज भंडारित पाया गया तथा नुरूल शेख एवं उस्मान शेख, सा0–जीगरहट्टी, थाना–मुफसिल, जिला–पाकुड़ का संयुक्त क्रशर मौजा–ढाटापाड़ा में 5000 घनफीट पत्थर खनिज भंडारित पाया गया। क्रशर मालिक से कागजात का माँग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार कोई कागजात पस्तुत नहीं किया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 01/कैम्प, दिनांक 29.05.2022 से थाना प्रभारी, कोटालपोखर को मे0 अब्दुल कासिम, प्रो0–मो0 अब्दुल कासिम, ग्राम–ढाटापाड़ा, थाना–कोटालपोखर, जिला–साहेबगंज एवं नुरूल शेख तथा उस्मान शेख, पिता–नामालूम, ग्राम–जीगरहट्टी, थाना–मुफसिल, जिला–पाकुड़ को कांड का प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया, जिसके आधार पर कांड अंकित किया गया।विपक्षी को दैनिक समाचार पत्रों में

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2
	प्रकाशित कर कारणपृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया, परन्तु विपक्षी के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया और न ही जप्त सामग्री से संबंधित दावा प्रस्तुत किया गया है। अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोटालपोखर थाना कांड संख्या बरहरवा थाना कांड संख्या 21/2022, दिनांक 29.05.2022, धारा–175/414 भा0द0वि0 एवं 21(1), 21(6) खान एवं खनिज विकास एवं निवनियम अधि0 1957 एवं 04/54 झा0ल0ख0समु0नि0 2004 के अन्तर्गत जप्त कासिम के क्रशर से 1. एक बोल्डर क्रशर मशीन, 2. दो चिप्स क्रशर मशीन, 3. छः कनवेयर, 4. 5000 घनफीट पत्थर खनिज तथा प्राथमिकी अभियुक्त नुरूल शेख एवं उस्मान शेख के क्रशर से–5. 01 बोल्डर क्रशर मशीन, 6. दो चिप्स क्रशर मशीन, 7. कन्वेयर एवं 9. 4000 घनफीट लगभग पत्थर खनिज अवैध है, जिसे न्यायहित में राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका–19 के अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have PM_{10} Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII). Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles" 1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के कण्डिका–19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
2	

complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs.

2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक–थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

1691/ख०नि० 21.04.23

अतः कोटालपोखर थाना कांड संख्या बरहरवा थाना कांड संख्या 21/2022, दिनांक 29.05.2022, धारा–175/414 भा0द0वि0 एवं 21(1), 21(6) खान एवं खनिज विकास एवं निवनियम अधि0 1957 एवं 04/54 झा0ल0ख0समु0नि0 2004 के अन्तर्गत जप्त कासिम के क्रशर से 1. एक बोल्डर क्रशर मशीन, 2. दो चिप्स क्रशर मशीन, 3. छः कनवेयर, 4. 5000 घनफीट पत्थर खनिज तथा प्राथमिकी अभियुक्त नुरूल शेख एवं उस्मान शेख के क्रशर से–5. 01 बोल्डर क्रशर मशीन, 6. दो चिप्स क्रशर मशीन, 7. कन्वेयर एवं 9. 4000 घनफीट लगभग पत्थर खनिज को **The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, बरहरवा के उपस्थिति में उक्त मशीनों एवं खनिज को नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करें। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, कोटालपोखर को भेजें। पारित आदेश से विपक्षी को अवगत करावें।

अभिलेख दिनांक   को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

28/3/23
उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

28/3/23
उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 13:33:45 +05:30
Location: 192.168.29.165